उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्या:I/776729/2024 -सी0एक्स0-3
लखनऊ: दिनॉक २२ अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन वाराणसी से गोरखपुर तक बिछायी गयी पाइपलाइन के माध्यम से गैस की पूर्ति के लिये किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा ;

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनाँक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285 दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है ;

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक **''प्रतिषिद्ध स्थान''** घोषित करते हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध संस्थान का नाम और विनिर्देश	
गेल इण्डिया लिमिटेड के गाटा संख्या- 349 मि0 रकबा 0.2025 हे0 में स्थित स्टेशन एस0वी0-5जी ग्राम-तरौना बासगांव, परगना-बिडहर, तहसील-आलापुर, जिला-अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश	
पूर्व में-	खसरा संख्या-348-सड़क।
पश्चिम में-	खसरा संख्या-349 मि0- खतौनी भूमि राजेश कुमार।
उत्तर में-	खसरा संख्या-349 मि0- खतौनी भूमि राजेश कुमार।
दक्षिण में-	खसरा संख्या-349 मि0- खतौनी भूमि राजेश कुमार।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
सचिव।

Signed By
Rajesh Kumar
Date: 22-10-2024 13:41:45